www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 08.04.2017

सीबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन पर डाक विभाग के दो कर्मियों एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने शहीद नगर डाक घर, भुवनेश्वर में कार्यरत तत्कालीन प्रभारी डाक पाल ; तत्कालीन डाक सहायक ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक ; छ: प्राइवेट व्यक्तियों तथा अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं 406 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि तत्कालीन प्रभारी डाक पाल एवं तत्कालीन डाक सहायक ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरूपयोग किया तथा कपटपूर्ण तरीके से 36,80,930 रू. लगभग की भारी नकद धनराशि को शहीद नगर डाक घर, भुवनेश्वर में 7 व्यक्तियों के डाक बचत खातों में दिनांक 09.11.2016 को जमा करने की अनुमति दी जबकि दिनांक 08.11.2016 को भारत सरकार द्वारा 500 रू. एवं 1000 रू. के वर्तमान नोटों के वैध चलन को वापस लेने के पश्चात 09.11.2016 की तिथि को डाक विभाग (भारत सरकार) द्वारा गैर व्यापारिक कार्य दिवस घोषित किया गया था।

कथित जमाकर्ताओं/ भुवनेश्वर में एवं इसके आस पास के खाता धारकों सहित आरोपियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में तलाशी की गयी जिसमें आपित्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। एक बैंक लॉकर की चाबी ; विभिन्न बैंक खातों एवं अचल सम्पत्ति (जिला जाजपुर स्थित कलिंगा नगर में एक डुप्लेक्स व जिला खोरडा में उगलपाड़ा एवं पथरगड़िया में भूमि/ प्लाटो) से सम्बन्धित दस्तावेज; 04.40 लाख रू. (लगभग) का नकद जमाकर्ताओं में से एक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक, भुवनेश्वर के आवास से बरामद हुआ। मामले की जॉंच जारी है।

****